भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 199
29.11.2021 को उत्तर के लिए

नगरपालिकाओं के ठोस अपशिष्ट पदार्थों का निपटान

199. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मीथेन और कार्बन डाई-आक्साइड का उत्सर्जन करने वाले और ग्रीनहाउस गैस के दुष्प्रभावों की वृद्धि कर एक बड़ी शहरी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न करने वाले शहरी केन्द्रों के बाहरी इलाकों में पाटन द्वारा नगरपालिकाओं के ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निपटान का संज्ञान लिया है;

(ख) क्या सरकार का यूरोपीय संघ द्वारा अपनाई जाने वाली प्रमाणित अपशिष्ट पदार्थ से ऊर्जा रूपांतरण तकनीक को अपनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मौजूदा पर्यावरणीय कानून प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई की कमी, संसाधनों की कमी और भारतीय कंपनियों की बड़ी संख्या/विशेषकर एसएमई द्वारा सामना की जाने वाली तकनीकी चुनौतियों के कारण निष्प्रभावी साबित हुए है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में विविध मुद्दों विशेषकर पर्यावरणीय क्षरण का समाधान करने के लिए कुछ सतत् कार्रवाइयां विकसित करने और अपनाने हेतु क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) सीपीसीबी के 'नगर ठोस अपशिष्ट निपटान साइट से मिथेन उत्सर्जन की स्थिति' के प्रकाशन के अनुसार लैंडफिल गैस (एलएफजी) का एक महत्वपूर्ण वृद्धिकर्ता नगर ठोस अपशिष्ट है जो कि ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी), मुख्यत: मिथेन और कार्बनडाइआक्साइड, का महत्वपूर्ण स्रोत है। देश के शहरी क्षेत्रों में नगर ठोस अपशिष्ट की विशाल मात्रा के होने को स्वीकारते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया।

(ख) अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के तहत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नगर ठोस अपशिष्ट के शोधन और गीले अपशिष्ट के लिए बायोमिथेनेशन की प्रक्रिया के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा रूपांतरण प्रौद्योगिकियों के रूप में भस्मीकरण/गैसीकरण/ताप-अपघटन को मान्यता दी है।

(ग) और (घ) मंत्रालय को अन्य बातों के साथ-साथ वनस्पति, जीवजंतु, वन और वन्यजीवों के संरक्षण और सर्वेक्षण; प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, अवक्रमित क्षेत्रों के वनीकरण और पुनरूद्धार, और पर्यावरण के संरक्षण के लिए अधिदेशित किया गया है। इन उद्देश्यों को पर्यावरण के बचाव, संरक्षण, और सुरक्षा के उद्देश्य से विधायी और नियामक उपायों के एक सेट द्वारा अच्छी तरह से समर्थित किया जाता है। ये अधिनियमन समय-समय पर भिन्न-भिन्न प्रकार से संशोधित किए गए है। इसके अलावा, विधायी और नियामक उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मंत्रालय ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण आदि सहित विभिन्न एजेंसियों को अधिकार सौंपे हैं। मंत्रालय देश के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करता है, जिसमें इसकी झीलें और नदियाँ, इसकी जैव विविधता, वन और वन्यजीव, और प्रदूषण की रोकथाम और उपशमन शामिल हैं। इन नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करते समय, मंत्रालय सतत विकास और मानव कल्याण की वृद्धि के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। ठोस कचरे के निपटान के संबंध में, मंत्रालय द्वारा लाए गए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पुराने कचरे के निपटान सहित ठोस कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 5 के तहत सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को पुराने कचरे के जैव खनन के संबंध में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों को लागू करने के निर्देश दिए गये हैं।

मंत्रालय ने देश में पर्यावरण, वन, वन्य जीवन और तटीय विनियमन क्षेत्र मंजूरी के लिए पूर्ण ऑनलाइन, त्वरित और पारदर्शी प्रणाली के लिए परिवेश (परस्पर संवादात्मक, वर्चअस और पर्यावरण सिंगल-विंडो हब द्वारा सक्रिय और उत्तरदायी सुविधा) नामक सिंगल-विंडो एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली लागू की है।

****